रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 1 जनवरी, 1992/11 पौष, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 दिसम्बर, 1991

संख्या ई०एक्स० एन०-सी (15) 2/88.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मौजा पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, में बहुद्देशीय बैरियर गोविन्दघाट में भारतोल मशीन की स्थापना हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (एस० डी० एम०), पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि वह उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश प्राप्त करें।

3287-राजपत्र/91-1-1-92—1,216.

मूल्य : 1 रुपया।

भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता (एस0 डी0 एम0), पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	क्षेत्र
सिरमौर	पांवटा	पांवटा साहिब	502/161/1	4 बिस्वा

आदेश द्वारा,
ए0 एन0 विद्यार्थी,
वित्तायुक्त एंव सचिव।

योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 दिसम्बर, 1991

संख्या पी0एल0जी0(ए) 4-5/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राज्य स्तरीय परिवीक्षा समिति जो इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक, दिनांक 21 अक्तूबर, 1988 को बनाई गई थी, को तत्काल समाप्त करने के महर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
कंवर शमशेर सिंह,
आयुक्त एंव सचिव।

FISHERIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th September, 1991

No. FSH-A (3)-3/90.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Fisheries Act, 1976, the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following amendment in the Himachal Pradesh Fisheries Rules, 1979, notified *vide* Government Notification No. FSH-A (3)-1/77, dated 15-11-79 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, extra-ordinary, dated 16th February, 1980. The proposed amendment is hereby published as required under sub-section (5) of section 3 of the said act for the information of all the person likely to be affected thereby. Objections and suggestions, if any, from such persons should be addressed to the Chief Warden of Fisheries, Himachal Pradesh, Bilaspur-174001, within 30 days from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, extra-ordinary after which the amendment objections and suggestions, if any, so received within the stipulated period shall be taken into

consideration before finalising the proposed amendment:—

RULES

1. *Short title and Commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Fisheries (Second Amendment) Rules, 1991.

(*ii*) These rules shall come into force atonce.

2. *Amendment of Schedule.*—Revised Schedule in place of existing Schedule is substituted.

REVISED SCHEDULES (SEE RULE 3,4,6,7,8 AND 10) CLASSIFICATION OF LICENSES

Sl. No.	Kind of Water (See Rules)	Permitted Fishing Method (See Rule 4)	License Valid for (Rule 7&10) Period	License Valid for (Rule 7&10) Jurisdiction	License fee (See Rule 2)	Close Season [See Rule 10 (*i*)]	Closed area for [See Rule 10 (*b*)]
1	2	3	4	5	6	7	8
						(A) KANGRA DISTRICT :	
1.	General Water as per rule 3 (*a*) (*i*) to (*v*).	Rod and Line and handline.	Yearly 1st April or date of issue to 31 March.	Entire State.	Rs. 500/-	16th June to 15th August each year both days inclusive.	(*i*) from the inception of river Machhiali in Palampur Tehsil or to its confluence with Huklu Nallah.
		Note.—The holder of yearly license shall be allowed to fish in all waters except trout waters.					(*ii*) One hundred metres above and two hundred meters below bridge on Punn Khad in Palampur Tehsil on Pathankot-Mandi Road.
					Weekly Rs. 100/- Daily Rs. 20/-		
		(*ii*) Cast net	Yearly	District Rs. 20/-			
		(*iii*) Drag nets	Yearly	District Rs. 50/-		-do-	(*iii*) The confluence of Bhiral and Maul Khad in Palampur Tehsil is known as Bhaira, 214 Karam in Khasra No. 1152 of Tika Mahalog Behli in both banks of Maul Khad Khasra No 10 (Ban-Damota) and 62 Karam in Tika Mahalo Behli on both banks of Bhiral Khad.
		(*iv*) Chips	1st August to 30th November.	Specified areas in Kangra District	Rs. 400/-		

1	2	3	4	5	6	7	8
		(*v*) Barpata	1st August to 30th November.	Specified area in Kangra District.	Rs. 400/-		(*iv*) From the back of Sandhar Aal of Khauli Khad in Kangra Tehsil to Narti Machhial (Tika Mal) and upstream of Machhial and Cho which meets with the road. (*v*) From Saptial Aal to Mumta Machhial is Jagal Khad in Kangra Tehsil.
2.	Trout Water as per rule 3.	Rod and line with following baits:— (*b*) (*i*) Artificial fly.	Weekly	Stream-wise	Rs. 150/-	1st November to last day of February, each year.	(*vi*) From the portion of river Beas where the water surface measuring machine has been installed in river Beas at Nadaun Ghat on Jawalamukhi-Nadaun Road Laddurs (Tehsil Dehra of Hamirpur District) to downwards and both banks of Gosain Pandian and to Kasika-Pattau.
		(*ii*) Artificial Spinning bait including spoons.	Daily	-do-	Rs. 30/-		
			Yearly 1st April or date of issue to 31st March.	Entire State	Rs. 1000/-		
		Note:—The holder of license of yearly license under Sr. No. 2 shall be allowed to fish in all waters.					(*vii*) 150 Meters both banks of river Beas (50 Mtrs. above and 100 Mtrs. down wards near cremation ground to Kalinath Mandir situated at Kalashar.
3.	Govindsagar reservoir as per rule 3 (c)(1).	(*i*) Gill net of size 80 Mtrs. long and 5 Mtrs. depth with minimum mesh of 5 Cms. from knot to knot.	1st April or date of issue to 31st March.	Beat wise.	Rs. 50/-plus 15% of the sale proceeds of fish by the fishermen co-operative society at the landing centres	16th June to 15th August each year both days inclusive.	(*viii*) Railan-di-Aal and its surrounding Area in Khasra No. 111/1 (17 Kanal 11 Marla portion) in Tika Paddar Village Jadrangal in Kangra Tehsil.

1	2	3	4	5	6	7	8
		(*ii*) Rod and Line	Daily		Rs. 20/-	16th June to 15th August each year both days inclusive	(*ix*) 50 Meters above and 100 Meters below the suspension bridge near Kangra Mandi Railway Station on Kangra-Tanda Road.
4.	Pong as 3 (*c*)	Reservoir per rule (*ii*).		—	-do-	-do-	-do-

(B) UNA DISTRICT:

(*i*) From the Panjgharatla bridge near Bhanaur village upto Raghwa valley above gharats in Una District.

(C) KULLU DISTRICT:

(*i*) Mohal Khad in general waters of Kullu District.

(*ii*) Shrir Khad in Trout waters of Kullu District

(D) MANDI DISTRICT:

(*i*) River Beas from Sikh Guradwara Paddal upto its confluence with Suketi Nalah.

(*ii*) Suketi stream from Suketi Bridge in Mandi Town upto its confluence with river Beas.

(*iii*) Rana Khad from village Manoh upto village Bhararu.

(*iv*) Machhial area in Rana Khad in Joginder nager Tehsil.

(*v*) Rewalsar Lake.

(E) SIRMAUR DISTRICT:

(*i*) Renuka Lake.

By order,
ATTAR SINGH,
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 25th October, 1991

No. FSH-A (3)-3,90.—Please *read* "1st September to 30th November" *for* "1st August to 30th November" at column No. 4 (Chips and Barpata) appearing in the schedule appended to this department Notification of even number, dated 10th September, 1991, regarding amendment in Himachal Pradesh Fisheries Rules, 1979.

By order,
P. I. SUVRATHAN,
Commissioner-cum-Secretary.

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5) 22/88.—यह कि श्री परम देव प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत शिकावर को पंचायत सभा निधि की मु0 7300/- रुपये को अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे जाने व उसका दुरुपयोग करने पर उपायुक्त, मण्डी द्वारा दिनांक 31-1-90 को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था। नोटिस के प्रति प्रधान के उत्तर की सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी, सराज से करवाई गई।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, सराज, जिला मण्डी में अपनी सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 244-91 को यह सूचित किया है कि श्री पदम देव के पास उस दिन मु0 7005/- नकद शेष वसूली योग्य थे। जिससे स्पष्ट था कि प्रधान उपरोक्त ने इस राशि का गबन किया है और उन्हें उपायुक्त, मण्डी द्वारा दिनांक 23-5-91 को प्रधान पद से निलम्बित किया गया।

यह कि मामले वास्तविकता बनने के लिए वैधानिक जांच जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी के माध्यम से करवाई गई और उनकी रिपोर्ट 16-9-91 के अनुसार प्रधान उपरोक्त के पास मु0 7000/- रुपये 8/89 से अनाधिकृत रूप से रखे पाए। जबकि प्रधान द्वारा जिला पंचायत अधिकारी मण्डी को 13-9-91 से पहले-पहले पैसे जमा करवाने का आश्वासन भी दिया गया था।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के प्रयोग में जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अधीन प्राप्त है और जिसे पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए। श्री परम देव, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत शिकावरी, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी को नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से निष्काशित किया जाये। उनका उत्तर 15 दिन के भीतर-भीतर उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाएगी।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5) 65/41.—क्योंकि पंचायत अंकेक्षक, विकास खण्ड पच्छाद द्वारा ग्राम पंचायत नैनाटिक्कर के अभिलेखों का अंकेक्षण वर्ष 1989-90 द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं कनिष्ठ अभियन्ता, विकास

खण्ड पच्छाद की विकास कार्यों पर की गई मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 24-7-1991 से पाया गया कि श्री नित्या नन्द, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत नैनाटिक्कर, विकास खण्ड पच्छाद निम्न अनियमितताओं ग्राम सभा निधि के भवन सम्बन्धी निम्न आरोपों के संलिप्त पाए गए हैं :—

1. यह कि श्री नित्या नन्द प्रधान (निलम्बित) ने वर्ष 1989-90 में मुबलिग 15000/- रुपये आई0 आर0 डी0 दुकान निर्माण हेतु विकास खण्ड अधिकारी, पच्छाद से अनुदान प्राप्त किया और 3525/- रुपये का सीमेन्ट लिया तथा पंचायत निधि से 8000/- रुपये प्राप्त किए जिसे अग्रिम धन के रूप में अपने पास रखा। कनिष्ठ अभियन्ता, पच्छाद की मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार 16759-60 रुपये का व्यय आंका गया है। परियोजना अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, जिला सिरमौर द्वारा जांच करने पर कार्य अपूर्ण पाया गया और मुबलिक 23000/- रुपये पेशगी का हिसाब न देकर राशि व कार्य पूर्ण न करने के दुरुपयोग में दोषी पाए गए

2. यह कि उक्त प्रधान (निलम्बित) ने वर्ष 1989-90 में मुबलिग 30,000/- रुपये महिला वर्कशाप भवन निर्माण हेतु नकद तथा 5875/- रुपये का सीमेन्ट अनुदान के रूप में प्राप्त किया तथा जिसमें से मुबलिग 30,000/- रुपये प्रधान ने पेशगी ली और दिनांक 2-7-1991 को जिला परियोजना अधिकारी विकास द्वारा जांच करने पर चिनाई दरवाजे तक पाई गई और इसका मूल्यांकन मुबलिक 15666/- आंका गया है। प्रधान ने मुबलिक 30,000/- रुपये का हिसाब न देकर बाकी के कार्य पूर्ण न करने के आरोप में संलिप्त पाया गया ;

3. यह कि प्रधान उपरोक्त (निलम्बित) ने वर्ष 1989-90 में मुबलिग 8000/- रुपये दुग्ध एकत्र केन्द्र निर्माण कडवाना हेतु विकास खण्ड अधिकारी, पच्छाद से नकद तथा 2310/- रुपये का सीमेन्ट प्राप्त करके पेशगी में अपने पास रखा और 5000/- रुपये भी पेशगी लिए। मूल्यांकन करवाने पर 6130.38 रुपये आंका गया। जांच करवाने पर 2-7-1991 को चिनाई करवाने के बाद काम बन्द पाया गया। न ही प्रधान ने पेशगी का हिसाब दिया। इस प्रकार प्रधान राशि के दुरुपयोग कार्य पूर्ण न करने के दोषी पाए गये ;

4. यह कि प्रधान उपरोक्त ने वर्ष 1989-90 में ही 7000/- रुपये चिनाई कूहल देव कोठी के निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त किया जिसे अपने पास पेशगी के रूप में लिए। इसका मूल्यांकन करवाने पर 4500/- रुपये का खर्चा पाया। इस प्रकार कार्य पूर्ण न करने पर तथा पेशगी का हिसाब न देकर दोषी पाए गये ;

5. यह कि प्रधान उपरोक्त ने वर्ष 1989-90 में मुबलिग 12000/- रुपये चिनाई टैंक देव कोठी निर्माण हेतु नकद तथा 2350/- रुपये का सीमेन्ट प्राप्त किया और उसमें से 10,000/- रुपये की पेशगी ली जिसका हिसाब न देकर निजि लाभ व पद का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गये ;

6. यह कि वर्ष 1989-90 में मुबलिक 4500/- रुपये सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए नकद प्राप्त किए और उसे पेशगी लेकर पंचायत को हिसाब न देने के दोषी पाए गये ;

7. यह कि उक्त प्रधान ने मुबलिग 15000/- रुपये विकास खण्ड अधिकारी से एल0 डी0 पी0 योजना से तथा मुबलिग 4000/- रुपये जवाहर रोजगार योजना से स्कूल भवन शामलाटी निर्माण के लिए प्राप्त किए और उसमें से 16000/- रुपये पेशगी ली जिसका कोई हिसाब न दिया और कार्य का मूल्यांकन 13282.35 पैसे आंका गया है। जांच के दौरान दिनांक 2-7-1991 को दरवाजे तक चिनाई करके कार्य बन्द पाया। इस प्रकार हिसाब न देने व कार्य अपूर्ण रखने के दोषी पाए गये ;

8. यह कि प्रधान उपरोक्त ने मुबलिग 11505/- रुपये जवाहर रोजगार योजना से प्राईमरी स्कूल भवन गडशयाना के लिए नकद प्राप्त किये। कार्य का मूल्यांकन करवाने पर 5032.89 रुपये पाया तथा जांच अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार केवल तीन फुट चिनाई करके कार्य बन्द पाया। इस प्रकार कार्य अपूर्ण रख कर 11505/- रुपये की राशि के गबन के दोषी पाए गये ;

9. यह कि मुबलिग 22825/- रुपये जवाहर रोजगार योजना क अन्तर्गत स्कूल भवन लजोगडी के प्रधान द्वारा प्राप्त किए गए और कार्य की जांच व मूल्यांकन करवाने पर केवल 7963.54 रुपये का व्यय पाया। इस प्रकार प्रधान उपरोक्त ने मुबलिग 22825/- रुपये की राशि के दुरुपयोग व कार्य अपूर्ण रखने के दोषी पाए गये ;

10. यह कि उक्त प्रधान ने 13200/- रुपये का किराया पंचायत स्टाल का टैलीफोन विभाग से 1-4-1984 से 31-7-1991 तक का 150/-रुपये की दर से हर माह में प्राप्त किया परन्तु रोकड़ बही में दर्ज अब तक न करके राशि के गबन में दोषी पाए गये ;

11. यह कि उक्त प्रधान ने 25000/- रुपये जवाहर रोजगार योजना की स्कीमों के लिए सरिया खरीद हेतु 5-1-1990 को पेशगी ली परन्तु पेशगी का हिसाब व सामान न देकर राशि एवं पद का दुरुपयोग किया ;

क्योंकि श्री नित्या नन्द प्रधान उपरोक्त को उपायुक्त, सिरमौर द्वारा निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस 27-8-1991 को दिया गया था और प्रधान का उत्तर 30-9-1991 को प्राप्त हुआ जो रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के अध्ययन से असन्तोषजनक पाया गया ;

और क्योंकि प्रधान उपरोक्त को अपने पद का दुरुपयोग और अनुदान की राशि के गबन के दोषी पाए जाने पर उनका प्रधान पद पर बने रहना जनहित में उचित न होने के कारण उपायुक्त, सिरमौर ने दिनांक 15-11-91 को प्रधान पद से जनहित में निलम्बित कर दिया।

और क्योंकि मामले में वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना जनहित में उचित समझा गया है।

अतः हिमाचय प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के प्रयोग में जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54 (2) के अधीन प्राप्त है, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), राजगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं और साथ ही जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
संयुक्त सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।